भारत का संशोधति वदिशी प्राधकिरण आदेश 1964 एवं नए प्राधकिरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय ने असम के राष्ट्रीय नागरकि रजसि्टर (National Register of Citizens-NRC) को आधार बनाकर अवैध रूप से नविास कर रहे वदिशी प्रवासयिों की पहचान कर उन्हें देश से नकिालने के लयि वशिष दशिा-नरि्देश जारी कयि हैं।

प्रमुख बदि

- गृह मंत्रालय ने **वदिशी (ट्रबियूनल्स) आदेश,** 1964 [Foreigners (Tribunals) Order,1964] को संशोधति करते हुए कहा कि सभी राज्यों एवं केंद्र शासति प्रदेश अपने राज्य में प्राधकिरण स्थापति करेंगे जो यह तय करेगा कि अवैध रूप से नविास करने वाला व्यक्ति वदिशी है या नहीं । इससे पहले प्राधकिरण स्थापति करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास थी।
- ये प्राधकिरण अर्द्ध-न्यायकि नकिाय होते हैं, असम में देखें तो ये नकिाय यह सुनश्चिति करते हैं कि अवैध रूप से नविास कर रहा व्यक्ति वदिशी है या नहीं ।
- यदि पुलसि कसिी ऐसे अवैध रूप से नविास करने वाले वदिशी व्यक्ति को गरिफ्तार करती है तो उसे स्थानीय अदालत में पेश कयिा जाता है एवं उसे पासपोर्ट एक्ट 1920 या फोरेनर एक्ट 1946 के तहत तीन महीने से आठ साल तक की सज़ा हो सकती है।
- वदिशी (ट्रबियूनल) आदेश 1964 के अनुसार, यह केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि वह प्राधकिरण से यह प्रश्न कर सकती है कि कोई व्यक्ति वदिशी अधनियिम, 1946 (Foreigners Act 1946) के अंतर्गत वदिशी है या नहीं एवं इस मामले पर राय भी ले सकती है।
- इसके साथ ही कुछ दनिों पहले गृह मंत्रालय ने इस आदेश को संशोधति कर केंद्र सरकार शब्द को प्रतसि्थापति करते हुए इसके स्थान पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासति प्रदेश के प्रशासक, ज़लिाधकिारी शब्द जोड़े गए।
- 31 जुलाई को NRC की अंतमि रपिोर्ट के प्रकाशन से पूर्व अवैध प्रवासयिों की जाँच करने के लयि असम में लगभग 1000 ट्रबियूनल्स स्थापति करने की मंज़ूरी दे दी है ताकि अवैध प्रवासयिों की पहचान ठोस तरीके से हो सके।
- सर्वोच्च न्यायालय के नरि्देशों के अनुसार, भारत के रजसि्ट्रार जनरल (Registrar General of India-RGI) ने असम में भारतीय नागरकिों और अवैध रूप से प्रवासयिों को अलग करने के लयि पछिले वर्ष 30 जुलाई, 2018 को NRC की अंतमि मसौदा सूची तैयार की थी। इसमें उन लोगो की पहचान की गई जो 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में घुस आए थे।
- इस मसौदे के आधार पर लगभग 40 लाख लोगों को चहि्नति कयिा गया जो अवैध रूप से भारत में नविास कर रहे थे। इनमें से 36 लाख लोगों ने इस मसौदे के खलिाफ याचकिा दायर की, जबकि लगभग 4 लाख लोगों ने इस पर कोई प्रतक्रियिा नहीं दी।
- वर्ष 2019 में संशोधति वदिशी (ट्रबियूनल्स) आदेश में प्रत्येक व्यक्ति को ट्रबियूनल के समक्ष अपनी बात रखने की शक्ति प्रदान की गई। इससे पहले राज्य सरकार ही कसिी संदग्धि के खलिाफ ट्रबियूनल में जा सकती थी लेकनि अंतमि राष्ट्रीय नागरकि पंजी (NRC) प्रकाशति होने के साथ ही इसमें जनि व्यक्तयिों का नाम शामलि नहीं है उनको यह अवसर प्रदान कयिा गया कि वह इसके वरि्द्ध ट्रबियूनल में जा सकते हैं।
- इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के प्रतनिधियिों के साथ एक मीटगि की थी।
- संशोधति आदेश ज़लिाधकिारयिों को यह अनुमति प्रदान करता है ऐसे व्यक्ति जनि्होंने NRC के वरि्द्ध ट्रबियूनल में कोई आपत्ति दर्ज़ नहीं कराई है, के संदर्भ में ज़लिाधकिारी यह तय कर सकता है कि वह व्यक्ति वदिशी है या नहीं।
- सरकार के अनुसार, जनि व्यक्तयिों ने NRC के वरि्द्ध आपत्ति नहीं जताई है उन्हें यह अवसर प्रदान कयिा गया है कि वे भी ट्रबियूनल के पास जा सकते हैं और उन्हें अपनी नागरकिता सद्धि करने के लयि नए सरि से सम्मन जारी कयिा जाएगा।

राष्ट्रीय नागरकि रजसि्टर (National Register of Citizens-NRC)

- NRC वह रजसि्टर है जसिमें सभी भारतीय नागरकिों का वविरण शामलि है। इसे 1951 की जनगणना के बाद तैयार कयिा गया था।
- रजसि्टर में उस जनगणना के दौरान गणना कयि गए सभी व्यक्तयिों का वविरण शामलि था। इसमें केवल उन भारतीयों के नाम को शामलि कयिा जा रहा है जो कि 25 मार्च, 1971 के पहले से असम में रह रहे हैं। उसके बाद राज्य में पहुँचने वालों को बांग्लादेश वापस भेज दयिा जाएगा।
- NRC उन्हीं राज्यों में लागू होती है जहाँ से अन्य देश के नागरकि भारत में प्रवेश करते हैं। NRC की रपिोर्ट ही बताती है कि कौन भारतीय नागरकि है और कौन नहीं।

स्रोत- द हदिू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/all-states-can-now-constitute-foreigners-tribunals